विद्युत प्रकरण क्रमांक 317/2022

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
विरूद्ध
सनत डहरिया

//अधिनिर्णय//

(आज दिनांक 09.09.2023 को पारित)

.....

श्री रघुराज खरसन, अधिवक्ता वास्ते परिवादी।

अभियुक्त स्वतः उपस्थित।

प्रकरण आज उभयपक्षों द्वारा राजीनामा करने की इच्छा व्यक्त किये जाने के कारण आज नेशनल लोक अदालत में राजीनामा हेतु नियत है।

उभयपक्षों द्वारा प्रकरण में राजीनामा होना व्यक्त किया, जिसके अनुसार अभियुक्त द्वारा कुल **क्षतिपूर्ति राशि 38,133/– में से 6,000/– रूपये की राशि अदा की जा चुकी है तथा शेष 32,133/– रूपये की राशि को 7 मासिक किश्तों में अदा करना चाहता है ।** छ.ग.रा.वि.वि.कंपनी शेष क्षतिपूर्ति राशि उक्त मासिक किश्तों में प्राप्त करने के लिये सहमत है। अतः राजीनामें के आधार पर प्रकरण का निराकरण करते हुये अधिनिर्णय पारित किया जाता है कि:–

1. अभियुक्त उपरोक्त शेष क्षतिपूर्ति राशि विद्युत कंपनी को उपरोक्त मासिक किश्तों में अदा करेगा और यदि अभियुक्त उक्त राशि अदा नही करता है तो विद्युत कंपनी निष्पादन प्रकरण के माध्यम उक्त राशि प्राप्त कर सकता है।

2. अभियुक्त यदि चाहे तो अपने परिसर में विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकता है और उक्त कनेक्शन का बिल समयानुसार अलग से अदा करेगा।

3. राजीनामें के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है तथा उसके द्वारा पेश बंधपत्र एवं जमानत पत्र निरस्त किये जाते है।

4. शासन की कोई राशि यदि देय होगी तो उसे परिवादी/विद्युत कंपनी अदा करेगी।

5. वर्तमान में जो बकाया राशि है उस पर आज के बाद सरचार्ज नही जोड़ा जायेगा ।

प्रकरण समाप्त। अभिलेख व्यवस्थित अभिलेखागार दाखिल किया जावे।

–सही/–	–सही/–
पीठासीन अधिकारी	सदस्य
लोक अदा.खंडपीठ क्र.–02	लोक अदा. खंडपीठ क्र.–02
जांजगीर	जांजगीर